



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 2779/ 1998

अपीलार्थीगण

विजय कुमार उर्फ मुन्ना और एक अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

मध्य प्रदेश राज्य

निर्णय उद्धोषणा हेतु दिनांक 03.07.2012 को सूचीबद्ध करें।



सही/-

प्रीतिकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

02.07.2012



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 2779/ 1998

अपीलार्थीगण

विजय कुमार उर्फ मुन्ना एवं अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

मध्य प्रदेश राज्य

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री जे.के. शास्त्री।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री विवेक शर्मा, पैनल अधिवक्ता।

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

(03.07.2012)

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 406/1993 में दिनांक 17.11.1998 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थीगण को धारा 304 (1) भा.द.वि. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और उनमें से प्रत्येक को दस वर्ष के सश्रम कारावास की दंड सुनाई गई है और 500 रुपये का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया गया है, अर्थदंड अदा न करने पर तीन महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

2. इस प्रकरण में मृतक का नाम सुखलाल उर्फ सुखल है, जिसकी कथित रूप से हत्या वर्तमान अपीलार्थीगण और दोषमुक्त किए गए अभियुक्तगण कोलेश्वर, सत्यनारायण और शिवनारायण ने की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थीगण सहित पांचों अभियुक्त, जिनके विरुद्ध



अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन चलाया था, सगे भाई हैं। दिनांक 28.11.1992 को मृतक की पत्नी कमली बाई (अ.सा.-5) के कथनानुसार मर्ग इंटीमेशन (प्र.पी.-3A) दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया कि सभी पांचों अभियुक्तगण ने मृतक की हत्या की है। इसी मर्ग इंटीमेशन के आधार पर उसी दिन झिलमिली पुलिस थाना में धारा 147, 149 और 302 भा.द.सं. के अंतर्गत बिना नंबरी वाली प्र.सू.प्र. (प्र.पी.-3) दर्ज की गई और बाद में इन्हीं अपराधों के लिए क्रमांकित प्र.सू.रि. (प्र.पी.-27) भी दर्ज की गई। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 147, 148 और 149 के अंतर्गत अभियोग पत्र दिनांक 23.02.1993 को प्रस्तुत किया गया।

3. अपने प्रकरण के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने अधिक से अधिक 12 व्यक्तियों का परीक्षण कराया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तगण के साक्ष्य भी अभिलिखित किए गए। जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और कथन किया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फसाया गया है।

4. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने तीन अभियुक्त कोलेश्वर, सत्यनारायण और शिवनारायण को उन पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया परंतु अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जैसा कि निर्णय के कंडिका 1 में उल्लेखित किया गया है।

5. अभियुक्त/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि कमली बाई (अ.सा.-5) और चंदो बाई (अ.सा.-6) के समक्ष दिए गए मृतक के मौखिक मृत्युकालिक कथन पर आधारित है। उनका तर्क है कि इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं और इस आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि अन्य महत्वपूर्ण साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के अनुसार, वास्तव में मृतक की हत्या महावीर (अ.सा.-10) ने की थी क्योंकि वह



(महावीर) मृतक की बहन करमातो के साथ अवैध संबंध था। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के अनुसार, विधि के अनुसार प्र.सू.प्र. की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई थी जो विधि के अनुसार आवश्यक है और अभियुक्त/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराते समय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रेम कुमार (अ.सा.-2) के केस डायरी कथन पर विचार किया है, जिसे 17 दिनों की अत्यधिक देरी से लेखबद्ध किया गया था।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और कहा कि कमली बाई (अ.सा.-5) और चंदो बाई (अ.सा.-6) द्वारा दिए गए बयान पूरी तरह से विश्वसनीय हैं और इन साक्षियों से प्रतिपरीक्षण के दौरान उनसे यह प्रश्न नहीं किया गया कि क्या मृतक उस समय मृत्यु कालिक कथन देने की स्थिति में था या नहीं। उन्होंने कहा कि भले ही अन्य साक्षियों ने

अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है, दोषसिद्धि कामली बाई (अ.सा.-5) और चंदो बाई (अ.सा.-6) के साक्ष्य विधि के अनुसार हैं और उनमें कोई दोष नहीं है पर आधारित है। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, भले ही प्र.सू.प्र. की प्रति मजिस्ट्रेट को तुरंत नहीं भेजी गई हो, बचाव पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि इससे उसे क्या हानि हुई है, और इसलिए अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क इस अपील के निराकरण के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है।

7. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

8. रामधीन (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना वाले दिन जब वह खेत में था, तभी राजेश नाम का एक व्यक्ति वहाँ आया और उन्हें बताया कि अभियुक्तगण (जिनमें दोषमुक्त किए गए लोग भी शामिल हैं) ने मृतक को लाठी और कृषि उपकरण (जिसे स्थानीय रूप से अखैनी कहा जाता है) से पीट-पीटकर मार डाला है। इसके बाद, वह गाँव के सरपंच के पास गया और फिर बाबूलाल और कुमधियो नामक दो अन्य ग्रामीणों के साथ मृतक को देखने गए, जो उनका भतीजा था। उन्होंने पाया कि उसके हाथ-पैर टूटे हुए थे, लेकिन वह अभी भी साँस ले रहा था। पूछे जाने



पर, मृतक ने अभियुक्तगण (पाँचों) के नाम बताए, जिन्होंने लाठी और कृषि उपकरण (जिसे स्थानीय रूप से अखैनी कहा जाता है) से उस पर हमला किया था। इसके बाद, जब अन्य ग्रामीणों की मदद से मृतक को उसके घर लाया जा रहा था, तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस साक्षी के अनुसार, यह घटना अभियुक्तगण की बहन से संबंधित किसी विवाद का परिणाम थी। हालाँकि, प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा कि जब वह दोपहर लगभग 3-4 बजे मृतक को देखने गए, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें मृतक की हत्या में शामिल व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रेम कुमार (अ.सा.-2), जिन्होंने कामली बाई (अ.सा.-5) और चंदो बाई (अ.सा.-6) को मृतक की घायल अवस्था के बारे में सूचित किया था, ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया गया है। हालाँकि, इस साक्षी ने बताया है कि घटना वाले दिन सुबह लगभग 9-10 बजे जब वह साइकिल से भटगांव जा रहा था, तब उसने मृतक को मरणासन्न अवस्था में देखा और फिर वह और आत्मानंद नामक एक व्यक्ति ने मृतक के परिवार को इसकी सूचना दी। प्रतिपरीक्षण में उसने बताया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था और तब तक मृतक की मृत्यु हो चुकी थी। गौतम प्रसाद तिवारी (अ.सा.-3) मृत्युसमीक्षा प्र.पी-1 का साक्षी है। सोधन (अ.सा.-4) ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया गया है। मृतक की पत्नी श्रीमती कमली बाई (अ.सा.-5) ने बताया कि घटना वाले दिन जब वह अपने घर में काम कर रही थीं और उसके पति ग्राम अनरोखा गए हुए थे, तब उसे आत्मानंद (जिनका परीक्षण नहीं किया गया) ने बताया कि सभी पांच अभियुक्तगण ने उनके पति की हत्या कर दी है। उसके अनुसार, जब वह घटनास्थल पर पहुंचीं तो उसने अपने पति को घायल अवस्था में देखा और उस समय वह जीवित थे। जब उसने पूछा कि उन पर किसने हमला किया, तो मृतक ने सभी अभियुक्तगण के नाम लिए और कहा कि उन्होंने लाठी और कृषि उपकरण, जिसे स्थानीय रूप से अखैनी के नाम से जाना जाता है, से चोटें पहुंचाई हैं। उसने मृतक के हाथों, पैरों और सिर पर चोटें देखीं और उन्हें देखकर



वह रोने लगीं। उसी समय, उसके ससुर (जिसका परीक्षण नहीं किया गया है) भी वहां पहुंचे और फिर जब उसके पति को घर ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद, भैयाथान पुलिस थाना में रिपोर्ट (प्र.पी-3) दर्ज कराई गई। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि महावीर साव रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसके साथ पुलिस थाना गए थे। उसने इस बात से इनकार किया है कि वह महावीर के कहने पर न्यायालय में साक्ष्य दे रही थीं। उसने आगे कहा कि उसे घटना की जानकारी आत्मानंद ने दी थी और जब वह घटनास्थल पर पहुंचीं, तो आत्मानंद और प्रेम कुमार (अ.सा.-2) पहले से ही वहां उपस्थित थे। चंदो बाई (अ.सा.-6) ने अपने परीक्षण में कहा है कि घटना वाले दिन जब वह अपने घर में खाना बना रही थीं, तब आत्मानंद और प्रेम ने उसे बताया कि मृतक की हत्या कर दी गई है और उसके बाद जब वह घटनास्थल पर पहुंचीं, तो उसने मृतक को घायल अवस्था में पड़ा देखा, परंतु वह जीवित था और उसने उसे उन सभी अभियुक्तगण के नाम बताए जिन्होंने उस पर कृषि उपकरण से हमला किया था और, जिसे स्थानीय रूप से अखैनी के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग किया था। उसने कथन किया कि घर ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके अनुसार, आत्मानंद से सूचना मिलने के आधे घंटे बाद वह घटनास्थल पर पहुंची और उस समय मृतक वहीं मौजूद था। उसने बताया कि आत्मानंद से पहले कोई भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा था। हालांकि, उसने यह स्वीकार किया कि मृतक अभियुक्तगण के भाई के हत्या के प्रकरण में सह-अभियुक्त था। डॉ. अरुण कुमार शर्मा (अ.सा.-7) वह साक्षी हैं जिन्होंने मृतक के शव का शव परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्र.पी-4) दिया जिसमें उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया गया है:

- (i) दाहिनी कोहनी के जोड़ के पीछे 1 ½ x 1" x हड्डी की गहराई का कटा हुआ घाव।
- (ii) बाएं हाथ के निचले हिस्से और पीछे भाग पर 4 x 4 " का खरोंच और घाव।



(iii) अग्रबाहु पर 2 x 2", 1 x 1", 2 x 1½" और 1 x 1" आकार के कई घाव और खरोंच।

(iv) बाएं पैर के ऊपरी हिस्से पर चोट और सूजन, फैली हुई सूजन और विच्छेदन, मांसपेशियों में त्वचा के नीचे 3 x 4" आकार का हेमाटोमा उपस्थित है।

(v) बाएं क्षेत्र के सामने चोट का निशान, त्वचा नीले रंग की, 15 x 10" आकार की फैली हुई सूजन उपस्थित है।

(vi) बाएं घुटने के जोड़ पर चोट और सूजन। मध्य भाग में फ्रैक्चर, जोड़ पर खून जमा हुआ।

(vii) बाएं टखने के जोड़ से 4" ऊपर पैर के निचले हिस्से पर चोट और सूजन, फैली हुई सूजन मौजूद है। टिबिया और फिबुला का निचला हिस्सा फ्रैक्चर है।

(viii) बाएं पैर के तीसरे, चौथे, पांचवें उंगलियों की पृष्ठीय सतह पर घर्षण उपस्थित है।

(ix) बाएं पैर के तीसरे, चौथे, पांचवें उंगलियों की पृष्ठीय सतह पर खरोंच, रक्त स्टेरॉयड, लाल रंग का।

मृत्यु का कारण अस्थिभंग और चोट के कारण सदमा और रक्तस्राव बताया गया है और मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

बाबूलाल (अ.सा.-8) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया गया है। उप निरीक्षक प्रकाश सोनी (अ.सा.-9) अन्वेषण अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन किया है। महाबीर (अ.सा.-10) जब्ती और



मेमोरेण्डम (प्र.पी-10 से प्र.पी-17) के साक्षी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। सहदेव राम (अ.सा.-11) वह साक्षी हैं जिन्होंने मर्ग की सूचना (प्र.पी-26) और प्र.सू.रि. (प्र.पी-27) पंजीबद्ध की थी।

9. अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों की गहन जांच से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 28.11.1992 को मृतक की मृत्यु 09 चोटों के कारण हुई थी। मृतक को लगी चोटों की संख्या डॉ. अरुण कुमार शर्मा (अ.सा.-7) द्वारा किए गए शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी-4) से सिद्ध हो चुकी है। कमली बाई (अ.सा.-5) और चंदो बाई (अ.सा.-6) दो महत्वपूर्ण साक्षी हैं जिनके समक्ष मृतक ने मौखिक मृत्युकालिक कथन दिया था। इन दोनों साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वे मृतक के पास पहुँचीं, तो उन्होंने उसे घायल अवस्था में देखा और उस समय वह जीवित था। उनके अनुसार, पूछे

जाने पर मृतक ने उन्हें बताया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने ही लाठी और कृषि उपकरण, जिसे स्थानीय रूप से अखैनी के नाम से जाना जाता है, से उसे चोटें पहुँचाई थीं। बचाव पक्ष द्वारा इन दोनों साक्षियों से लंबी प्रतिपरीक्षण की गई, लेकिन वे इस बात पर अडिग रहीं कि मृतक ने उन्हें किस प्रकार मृत्युकालिक कथन दिया था। इस न्यायालय को इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता, विशेष रूप से तब जब उनसे यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि क्या सुसंगत समय पर मृतक मौखिक मृत्युकालिक कथन देने की स्थिति में था। इसके अलावा, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 का मेमोरेण्डम (प्र.पी-10) अभिलिखित किया गया, जिसके अनुसार लाठी (प्र.पी-11) और इस अभियुक्त का खून से सना कुर्ता (प्र.पी-18) जब्त किया गया और इसी प्रकार मेमोरेण्डम (प्र.पी-12) के आधार पर... अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 से लाठी की ज़ब्ती प्रदर्श पी-13 के अंतर्गत की गई थी और महावीर (अ.सा.-10) द्वारा मेमोरेण्डम और ज़ब्ती दोनों को सिद्ध कर दिया है। यह न्यायालय अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाता कि प्र. सू. प्र. की प्रति मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई थी और इसलिए अपीलार्थीगण को



दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बचाव पक्ष यह साबित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है कि प्र. सू. प्र. की प्रति मजिस्ट्रेट को न भेजे जाने से उन्हें क्या हानि हुई है।

10. अतः उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर दिया है और इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित अभियुक्त/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किए जाने का आक्षेपित निर्णय पूर्णतः उचित है। अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष साक्षियों के साक्ष्य के अनुरूप है, त्रुटिहीन हैं और उनमें इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। इस प्रकार, अपील सारहीन है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। इसे इसी प्रकार खारिज किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनकी जमानत बांधपत्र निरस्त की जाती है। उन्हें अपनी शेष दंड भोगने के लिए तत्काल जेल भेजा

जाए।



सही/-

प्रीतिकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : Kamlesh Kumar Sahu